न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–78/2013–14 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– श्रीमती कमला देवी, पत्नी स्व0 ताजवर सिंह, 2. मनमोहन सिंह पुत्र स्व0 ताजवर सिंह, निवासीगण– ग्राम पदमपुर, सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला गढ़वाल।

बनाम

1– श्रीमती जग्गो देवी पत्नी स्व0 हरवंशा, 2. लेखराज, 3. गोविन्द पुत्रगण स्व0 हरवंशा, सभी निवासीगण द्वारा प्रदीप कुमार ग्रीनवैली, हरिसिंहपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला गढ़वाल।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री दिनेश प्रसाद त्यागी।

अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–74/2013 श्रीमती जग्गो देवी बनाम श्रीमती कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 14–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 ताजवार सिंह एवं मनमोहन सिंह पुत्र स्व0 ताजवर सिंह ने स्टाम्प पेपर पर क्रय के आधार पर खाता संख्या–19 मध्ये क्षेत्रफल 1.88 एकड़ भूमि स्थित ग्राम सुखरौ के नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार, कोटद्वार के समक्ष दिनांक 19/20–09–92 को प्रस्तुत किया जिस पर इश्तिहार/उद्घोषणा पत्र जारी किया गया तथा नियत अवधि के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत न होने के कारण विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–12–93 से शासनादेश संख्या–104/1/83 (181)सं0–6 दिनांक 04–06–92 के प्रतिबन्धों के तहत नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तरण आदेश पारित किया।

नामान्तरण आदेश दिनांक 18–12–93 के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 श्रीमती जग्गो देवी द्वारा धारा–201 भू0रा0अधि0 का प्रार्थना पत्र धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत किया गया कि उसके पति द्वारा अपनें जीवनकाल में कोई विक्रय पत्र, हस्तान्तरण व इकरारनामा नही किया गया है तथा जिस विक्रय का उल्लेख कर नामान्तरण किया गया है उसमें विक्रेता अनुसूचित जाति तथा क्रेता सवर्ण जाति के सदस्य है जिससे जं0वि0अधि0 की धारा–154 के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है। उत्तरदाता संख्या–1 को

निगरानीकर्तागण के इस कृत्य का ज्ञान तब हुआ जब उनके द्वारा सिविल जज जू0वि0, कोटद्वार के न्यायलय में योजित स्थाई निषेधाज्ञा वाद की प्रति समन सहित मिली तद्नुसार उसने धारा–201 भू0रा0अधि0 के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नही की है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर आदेश दिनांक 18–02–93 को अपास्त किया जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध निगरानीकर्ता सं0–2 मनमोहन सिंह द्वारा आपत्ति दिनांक 12–08–93 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उत्तरदाता संख्या–1 के पति स्व0 हरवंशा ने अपने हक के हिस्से की भूमि अपने जीवन काल में अनेको व्यक्तियों को विक्रय कर दी थी और वर्ष 1969 से पूर्व ग्राम पदमपुर सुखरौ, कोटद्वार से जिला बिजनौर में वसागत हो गये है तथा अब मूल आवेदक/प्रार्थीगण के नाम पर भूमि का दा0खा0 स्वीकृत होने के 20–21 वर्षों पश्चात धारा–201 भू0रा0अधि0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो भू–माफियों व प्रापर्टी डीलरों से मिलीभगत कर किया गया है जो पोषणीय नही है।

विद्वान तहसीलदार, कोटद्वार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 एवं धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर वादी एवं आपत्तिकर्ता की आपत्ति का परीक्षण कर तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त इस आधार पर कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य जाति के व्यक्ति को बिना अनुमति भूमि विक्रय नही कर सकता है, आवेदक का नाम इसके पति के स्थान पर खाते में अंकित है, प्रार्थिनी अनपढ़ अनुसूचित जाति की महिला होने के दृष्टिगत उसके प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है अपने आदेश दिनांक 14–10–1913 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

आलोच्य प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 18–02–93 को अपास्त करने बावत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 लगभग 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है लेकिन आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से पूर्व धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विद्वान तहसीलदार द्वारा कोई विश्लेषण एवं विमर्श नही किया गया है और न ही इसे स्वीकार/अस्वीकार करने सम्बन्धी कोई मन्तव्य अंकित किया गया है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ~~भी~~ इस तथ्य से सहमत है कि विद्वान तहसीलदार को सर्वप्रथम धारा–5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एक सुविचारित, सकारण एवं सुव्यक्त आदेश से निस्तारित करना चाहिए था एवं पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब मर्षण अनुमन्य किये जाने की दशा में उसके पश्चात ही धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र विधिवत सुनवाई कर निस्तारण करना चाहिए था जबकि विद्वान तहसीलदार

ने मात्र उत्तरदात्री के अनुसूचित जाति की अनपढ़ महिला होने के आधार पर विलम्ब मर्षण अनुमन्य किया है। आक्षेपित आदेश तद्नुसार एक सकारण एवं सुव्यक्त आदेश नही है जो विधि की दृष्टि में शून्य है। निगरानी तदनुसार स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 14–10–2013 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि सर्वप्रथम विलम्ब मर्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण सकारण एवं सुव्यक्त (reasoned & speaking) रूप में किया जाए। यदि विलम्ब मर्षण प्रार्थना स्वीकार होता है तो तत्पश्चात धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर किया जाए। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो। उभयपक्ष दिनांक 10–07–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों उक्त तिथि तक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनायी रखी जाए। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 02–06–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)